चोरों ने छत के रास्ते दुकान में घुस लाखों का माल पार किया

■ वीकेंड संडे को हुई चोरी की वारदात घटित, सिटी पुलिस ने मौका मुआयना किया

ब्यावर, (निसं)। शहर के पाली बाजार हलवाई गली के समीप स्थित गुप्ता फोटो कलर लैब एंड स्टूडियो में वीकेंड संडे को हुई चोरी की वारदात घटित हुई। चोर छत के रास्ते से दुकान में प्रवेश कर नकदी, आभूषण, ब्रांडेड कैमरे, चेक बुक व डीवीआर चुरा कर ले गए। दुकान मालिक राजेश दीपक गुप्ता की सूचना पर सिटी थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरु कर दिया है।

ब्यावर में रविवार को विकेंड कर्फ्यू था। जिसका पालन आम जन के साथ-साथ व्यापारी भाइयों ने भी किया। मगर शायद चोरों को ना तो करोना महामारी से डर है, ना ही पुलिस की सख्ती, गश्त से कोई डर है। उसी का नतीजा है कि हमेशा पुलिस की निगरानी में रहने वाले एकता सर्किल और लोहरान चौपड के मध्य में गुप्ता कलर लैब पर चोरी की वारदात को अंजाम दे डाला। प्रारंभिक जांच मे पता चलता है की चोर कीमती केमरे, कीमती उपकरण और नकदी के अलावा सीसीटीवी का डीवीआर भी चुरा ले गए। आप सोच रहे होंगे की मेने ऊपर डीवीआर को हाई लाइट क्यों किया। क्योंकि कोई भी चोर जब चोरी करने आता है तो उसे केवल चोरी के माल से मतलब होता है।

मगर यहां चोर का सीसीटीवी का डीवीआर ले जाने का कारण स्पष्ट है कि चोरो को अपनी पहचान जाहिर होने का डर बना रहता है। इसलिए ना रहे बांस ना ही बजे बांसुरी की कहावत सही होती है। मगर चोर कितना भी शातिर क्यो ना हो मगर कोई ना कोई सबूत छोड ही जाता है। अब देखना है कि पुलिस और गुप्ता कलर लेब के मालिक कितनी जल्दी चोरो का सुराग ढूंढ पाते है। चोर केमरे की पहचान छुपा सकता है ना ही आसपास के केमरे की रिकॉर्डिंग चुरा सकता है सबूत हर जगह से बरामद हो सकते है। पुलिस को जो कमजोर समझ के चलता है उसे समझ जाना चाहिए की पुलिस चाहे तो चोर को पाताल से भी ढूंढ कर निकाल सकती है और सायबर सेल से चोरों की तह तक आराम से पहुंच सकती है। आशा है कि शीघ्र ही पुलिस इन शातिर चोरो को दबोच कर घटना का खुलासा करेगी।

बैलगाड़ी लेकर दुल्हन लेने पहुंचा दूल्हा

■ पर्यावरण बचाने का संदेश दिया

भीलवाडा, (निसं)। जिले में एक बेहद अनोखी शादी देखने को मिली। दरअसल, यहां दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने बैलगाडी में पहुंचा। खास बात यह रही कि पूरी बारात भी बैलगाडियों पर ही बैठकर दुल्हन के घर तक आई। बैलगाड़ियों पर बैठी यह बरात जिस भी गांव से गुजरी, लोग इसे ना केवल एकटक देखते रहे बल्कि इस लम्हे को अपने-अपने मोबाइल में कैद भी करने लगे। यह बारात गाजे-बाजे के साथ ईरास ग्राम पंचायत तक ऐसे ही पहुंची।

दूल्हे का नाम प्रभु कुमावत है, जिसकी शादी गोपाल कुमावत की बेटी मैना से तय हुई थी। बताया जा रहा है कि देश में पेट्रोल-डीजल की कीमत में लगातार बढ ोतरी हो रही है साथ ही इससे प्रदूषण भी काफी होता है। इसलिए दूल्हा अपनी बारात बैलगाडी में निकालकर लोगों को प्रदूषण रोकने का एक तरह से संदेश देना चाहता था। वहीं, गांव के कुछ अन्य बुजुर्गों ने कहा कि बैलगाडी वाली बारात को देखकर उनकी भी पुरानी यादें ताजा हो गई, क्योंकि पहले के जमाने में इसी तरह से बारात शादी के लिए आती थी। प्रभु कुमावत ने जब अपने पिता भंवर कुमावत को यह बात बताई कि वह बैलगाडी से अपनी बारात ले जाएंगे तो उन्होंने भी इसका समर्थन किया। फिर 22 बैलों की 11 बैलगाडियां तैयार की गई और दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने पहुंचा। पूरे रास्ते बाराती बैलों के पैरों पर बंधे घुंघरू की आवाज पर नाचते रहे।

सरगरा मित्र मंडल की बैठक संपन्न

मदनगंज-किशनगढ, (निसं)। सरगरा मित्र मंडल की और से राज्य स्तरीय वर्चुअल मिटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में समाज हितार्थ के साथ कोरोना के तीसरे चरण में बढ रहे संक्रमणों की संख्या को लेकर चर्चा की गई। समाज की सभी दिवंगत आत्माओ को दो मिनट मौन रखकर श्रृद्धांजलि दी गई। मिडिया प्रभारी महेन्द्र मारू व नंदवान ने हिन्दी मासिक अखबार ''सरगरा संदेश को घर घर मे मंगवाने की अपील की।

प्रिंसिपल पर अश्लील हरकत करने का आरोप

ब्यावर, (निसं)। बलाड रोड स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में पढने वाली कक्षा चार की बालिका ने रोते हुए अपने परिजनों को शिकायत करते हुए बताया की विद्यालय के प्रिंसिपल जालिया रोड निवासी ईश्वर राय भट्ट ने उसके साथ अश्लील हरकत की है। इस बात को लेकर परिजन जब विद्यालय पहुँचे तो प्रिसिपल भट्ट उपस्थित नहीं मिला। एक शिक्षिका पिंकी ढोलवानी स्कूल में उपस्थित मिली जिसने भी प्रिंसिपल की उपस्थिति के बारे में अनभिज्ञता ज़ाहिर की। परिजनों ने स्कूल पहुँच भट्ट को फोन लगाया लेकिन उसने फोन रिसीव ही नहीं किया। आखिर परिजनों ने पुलिस थाने पहुँचकर प्रिंसिपल की खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

आम सूचना

मेरे पिता रामचन्द्र पुत्र सांवता जाति गुर्जर निवासी ग्राम सरवर की मृत्यु दिनांक 5.4.1998 को मेरे निवास स्थान ग्राम सरवर में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत झीरोता में नहीं करवाया था। अब मैं मेरे पिता रामचन्द्र गुर्जर का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसील के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रार्थी देवालाल पुत्र रामचन्द्र गुर्जर
निवासी ग्राम सरवर तहसील अरांई
(अजमेर)

आम सूचना

मेरी दादी श्रीमती स्व. हरजु पत्नी काना जाति जाट निवासी ग्राम कटसुरा की मृत्यु दिनांक 1.1.2001 को मेरे निवास स्थान पर ग्राम कटसुरा में हो गई थी। जिसका पूर्व में इन्द्राज ग्राम पंचायत कटसुरा में नहीं करवाया था। अब मैं मेरी दादी श्रीमती स्व. हरजु जाट का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अरांई तहसील कार्यालय में आवेदन किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जिस किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो 7 दिन में मय दस्तावेज के साथ अरांई तहसीलदार के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं बाद मियाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

प्रार्थी सोराज पुत्र रामचन्द्र जाट
निवासी ग्राम कटसुरा तहसील अरांई
(अजमेर)

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांकः-योजना/2021-22/1468

दिनांक 20.01.2022

मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा वसीयत निष्पादित करने पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम की अजयनगर योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 243 क्षेत्रफल 250 वर्गगज के अन्तरिति श्री नंदीराम भाटिया पुत्र श्री कोडूमल भाटिया निवासी 810/29 मेयो लिंक रोड़ अजमेर से जरिये अपंजीकृत वसीयत दिनांक 05.07.86 द्वारा भूखण्ड के नामान्तरण हेतु श्री ठाकुरदास भाटिया पुत्र श्री नंदीराम भाटिया निवासी अजयनगर अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है श्री नंदीराम भाटिया का स्वर्गवास दिनांक 07.11.91 को हो चुका है।

उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति नगर निगम कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नही होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

उपायुक्त,
नगर निगम, अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति के मुख्तयारआम द्वारा पंजीकृत विक्रय प्रत्र निष्पादित करने पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की चौरसियावास योजना के आवासीय भूखण्ड संख्या 691 क्षेत्रफल 653.33 वर्गगज आवंटी/ अन्तरिति स्व. श्री सुभाष चन्द गहलोत पुत्र श्री प्यारेलाल गहलोत निवासी माली मौहल्ला, कृष्णगंज, अजमेर की मृत्यु दिनांक 13-07-2020 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा रिपार्ट संलग्न कर मृतक के वारिसों क्रमशः माया गहलोत पत्नी स्व. श्री सुभाष चन्द गहलोत, सुनील गहलोत पुत्र स्व. श्री सुभाष चन्द गहलोत, योगेश गहलोत पुत्र स्व. श्री सुभाष चन्द गहलोत, निवासी माली मौहल्ला, कृष्ण गंज, अजमेर द्वारा नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्व सांधारण को सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की आनासागर सरक्यूलर रोड़ योजना के आवासीय/व्यावसायिक आवा संख्या 72 LIG ACR क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर के आवंटी/अन्तरिति स्व.श्री रामचन्द्र सोनी पुत्र श्री टेकचन्द सोनी निवासी अजमेर की मृत्यु दिनांक 06-07-018 को होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र तथा वसीयतनामा (अपंजीकृत) 06.01.018) संलग्न कर मृतक द्वारा निष्पादित वसीयतनामें के आधार पर नामान्तरण हेतु श्रीमती पार्वती देवी सोनी पत्नि स्व. रामचन्द्र सोनी निवासी आनासागर सरक्यूलर रोड़ अजमेर द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त नामान्तरण किये जाने के संबंध में किसी को आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर आपत्ति प्राधिकरण कार्यालय में दर्ज करावें। उक्त नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी व आवेदक के नाम नामान्तरण की कार्यवाही की जा सकेगी।

योजना प्रभारी, अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांकः न.नि.अ/भू.उ.पे/2021-22/102 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 24.1.22

1 ईश्वर लालवानी पुत्र श्री मिर्चुगल लालवानी निवासी राधा स्वामी कॉलोनी फायसागर रोड अजमेर 2 श्री दिलीप लालवानी पुत्र श्री कुन्दनदास लालवानी निवासी चौधरी कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर 3. श्रीमती राजेश्वरी बदलानी पत्नी श्री तरूण बदलानी निवासी 2-थ-1 जनता कॉलोनी वैशाली नगर अजमेर एवं 4 श्रीमति कविता बदलानी पत्नी श्री प्रकाश बदलानी निवासी मन 2-थ-1 जनता कॉलोनी वैशाली नगर, अजमेर द्वारा एक सम्पति जिसका ए.एम.सी. नं. 1110/833 = 19/883= 62/1= 713/5 = 713/28 अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 81.11 वर्गगज (67.81 व.मी.) है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान-2033 के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार हैं।

पूर्व : दौलतबाद रोड पश्चिम : गली बाद प्रोपटी अब्दुल की

उत्तरः प्रोपर्टी किशनगोपाल ब्राह्मण की दक्षिण : गली बाद प्रोपटी गफूर पुत्र जहांगीर की

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर-अंदर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी नगर निगम अजमेर

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांकः न.नि.अ/एम.बी./819 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 21.1.22

श्री महेश चौहान पुत्र श्री फूलचन्द चौहान निवासी 501/40 खनिज नगर आदर्श नगर बालपुरा रोड, अजमेर द्वारा एक सम्पति/भूखण्ड संख्या 17 व 18 जो खसरा नम्बर 8129 का भाग है जो वाकै थोक मालियान अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 319.70 वर्गमीटर है भूमि के व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानुसार हैं।

पूर्व : 20 फुट चौडा रोड पश्चिम : नसीराबाद रोड 100 फुट चौडा

उत्तरः 20 फुट चौडा रोड दक्षिण : ऑपन प्लाट व भूखण्ड संख्या 19

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर-अंदर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी नगर निगम अजमेर

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांकः न.नि.अ/एम.बी./815 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 21.1.22

जी.आई. एन्फ्रा इन्टरनेशनल जरिये डायरेक्टर श्री गोविन्द खटवानी पुत्र स्व. श्री सन्तुमल निवासी प्लाट नं. 01 संतकंवरराम कॉलोनी अजमेर द्वारा एक सम्पति/भूखण्ड जिसका ए.एम.सी. नम्बर 16/335 का भाग है जो वाकै पीपल वाली गली पुरानी मण्डी अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 224.06 वर्गगज (187.41व.मी.) है भूमि के व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक उपयोग हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार हैं।

पूर्व : जायदाद श्री सूरजनारायण माथुर की पश्चिम : जायदाद हरिमोहन भट्ट व पब्लिक चौक

उत्तरः जैन रेडीमेन्ट वालों की जायदाद दक्षिण : श्री गुर्जर की है

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर-अंदर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी, नगर निगम अजमेर

कार्यालय नगर परिषद ब्यावर

Tel No. 01462-258665 Email. Add -npbeawer@gmail.com

क्रमांकः नजूल/21-22/खांचा भूमि आपत्ति सूचना /PSKG/9449 दिनांक : 24.1.22

आपत्ति आमंत्रण सूचना

श्रीमती गायत्री देवी लाटा निवासी ब्यावर ने नगर परिषद ब्यावर में विद्यमान जगदीश नगर खसरा न 940,941 राजस्व ग्राम नया नगर बलाड रोड ब्यावर में स्थित प्लाट नम्बर 15ए से लगती हुई खांचा भूमि क्षेत्रफल 7-9+4=11'/2×50'-0' = 316.75 वर्गफिट यानि 35.19 वर्गगज क्रय करने हेतु आवेदन किया है। जिसकी सीमायें निम्नानुसार है:

पूर्व में -परिषद की भूमि पश्चिम में-प्लाट न. 13

उत्तर में-प्लाट न. 16 दक्षिण में-आम रास्ता 30 फिट

अतः इस खांचा भूमि के संबंध में किसी भी व्यक्ति या किसी संस्था को कोई आपत्ति हो तो मय प्रमाणित दस्तावेज सात दिवस के भीतर भीतर नगर परिषद कार्यालय, ब्यावर में प्रस्तुत करे। बाद मियाद कोई भी आपत्ति विचारणीय नही होगी सूचित रहे।

आयुक्त नगर परिषद ब्यावर

Auction Notice

नीचे उल्लिखित व्यक्ति को सूचित किया जाता है कि वे स्वर्ण ऋण की देनदारी का भुगतान करने में विफल रहे है। उन्हें बैंक द्वारा पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा गया, लेकिन बकया राशि जमा करने का कोई जबाब नही आया। अतः उनसे 05.02.2022 को या उससे पहले देयता और अन्य शुल्कों का भुगतान करने का अनुरोध किया जाता है, जिसमें विफल होने पर बैंक द्वारा सार्वजनिक नीलामी में 07.02.2022 को या उसके बाद बैंक के पूर्ण विवेक पर बिना किसी सूचना के बैंक परिसर में या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर उधारकर्ता की कीमत पर नीचे दी गई प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा।

S.No	NAME	TOTAL LIABILITIES	ITEMS
1	कालूराम चौधरी पुत्र श्री मिश्रीलाल पीसांगन रोड़ ब्यावर खास ब्यावर	106747/- + INTEREST	कंठी-1

Kindly Contact
केनरा बैंक, अजमेर गेट के पास बफाना मार्केट, ब्यावर
9001098268 01462-257946

अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

टोडरमल मार्ग, अजमेर

क्रमांक : अविप्रा/प.3/भू.उपरि/2022/1108 दिनांक : 24.01.2022

सार्वजनिक सूचना

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार के अधिसूचना क्रमांक प. 11(8) नविवि/2020 दिनांक 24.02.2021 एवं अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 के अन्तर्गत निम्नांकित भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू- उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है :-

क्र. सं.	नाम आवेदक	योजना का नाम	प्लॉट नं.	कुल क्षेत्रफल	जोनल डवलपमेंट प्लान 2033 (जोन-2) के अनुसार भू-उपयोग	स्वीकृत भू-उपयोग	चाहा गया भू-उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री जितेन्द्र चौधरी पुत्र स्व.श्री बी.आर.चौधरी	राजस्व ग्राम चौरसियावास	खसरा सं. 1657, 1632	137.00 वर्ग गज	मिश्रित	आवासीय	व्यवसायिक

उपरोक्त भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर किसी संस्था/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस में अपनी आपत्ति कारण/विवरण सहित अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर में दर्ज करावे अन्यथा अवधि के उपरान्त किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा।

सदस्य सचिव
(भू-उपयोग परिवर्तन समिति) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर निगम अजमेर

क्रमांकः न.नि.अ/भू.उ.प/2021-22/102/101 **आपत्ति सूचना** दिनांक : 24.1.22

Dr. (ms.) Pamela Felicity Erickson W/o Dr. R.V. Erickson, As Self and a power of atterony holder of Anand Erickson S/o Late Dr. R.V. Erickson and Jayant Rubin Erickson S/o Late Dr. R.V. Erickson R/0 02/10 294/4 Zenma Bungalow, opp Roadways bus stand Jaipur Road Ajmer द्वारा एक सम्पति जिसका ए.एम.सी. नम्बर 43/11 पुराना 02/10 नया 294/04 अंकित है जो वाकै जेना बंगला का भाग जो वाकै बस स्टेण्ड के सामने जयपुर रोड, अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 882.41 वर्गगज (738.08व.मी.) है भूमि के आवासीय से व्यावसायिक वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएं निम्नानुसार हैं।

पूर्व : प्रार्थी की स्वयं की पार्किग व जयपुर रोड पश्चिम : 7 बंगला रोड

उत्तरः चर्च की सम्पत्ति दक्षिण : केन्द्रीय बोर्ड की सम्पत्ति

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर-अंदर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

प्रभारी अधिकारी, नगर निगम अजमेर

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालय- घूघरा, अजमेर, राजस्थान-305023, फोनः 8094007181, ई-मेलः ghoogh@bankofbaroda.com

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **मैसर्स ड्रीम हाउसिंग प्रोपराईटर श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश चंद शर्मा पर मांग सूचना दिनांक 24.06.2021** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर **दिनांक 21.06.2021 को बकाया राशि रू. 5,54,606.50 (रूपये पांच लाख चौवन हजार छह सौ छह एवं पैसे पचास मात्र) (दिनांक 20.01.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 19, माह जनवरी, वर्ष 2022** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 10.01.2022 को बकाया राशि रू. 5,89,408.94 (रूपये पांच लाख नवासी हजार चार सौ आठ एवं पैसे चौरानवे मात्र) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए **बैंक ऑफ बड़ौदा, घूघरा शाखा, अजमेर, राजस्थान-305023** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि श्री अनिल कुमार शर्मा पुत्र श्री महेश चंद शर्मा के नाम साम्यिक बंधक दुकान दिनांक 14.06.2016 जो भूतल, दुकान नं. 6, नक्षत्र रेजोडेन्सी, खसरा नं. 790, 791, 793 एवं 794 का भाग, राजस्व गाँव-कोटड़ा, जिला-अजमेर, राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 238.00 वर्ग फीट है। **सीमाएं**- पूर्वः अन्य की सम्पत्ति, पश्चिमः आम रास्ता, उत्तरः अन्य की सम्पत्ति, दक्षिणः ज्ञान विहार कॉलोनी का भाग

स्थानः अजमेर
दिनांकः 19.01.2022

हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखा कार्यालयः जे. एल. एन. हॉस्पीटल रोड़, अजमेर, राजस्थान
ई-मेलः ajmraj@bankofbaroda.com

प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002, परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें]

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि

निम्नहस्ताक्षरकर्ता **बैंक ऑफ बड़ौदा** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 54) के अंतर्गत और धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित, ऋणी **मैसर्स वर्मा एण्ड कम्पनी, श्रीनगर, पार्टनर एवं जमानतदार श्रीमती सीता देवी पत्नी स्व. भीम सिंह वर्मा, श्रीमती रजनी वर्मा पत्नी स्व. राजेन्द्र कुमार वर्मा (स्व. राजेन्द्र कुमार वर्मा के कानूनी वारिस, पार्टनर एवं जमानतदार), श्रीमती किर्ति पुत्री स्व. राजेन्द्र कुमार वर्मा (स्व. राजेन्द्र कुमार वर्मा के कानूनी वारिस, पार्टनर एवं जमानतदार), श्रीमती तृप्ति वर्मा पुत्री स्व. राजेन्द्र कुमार वर्मा (स्व. राजेन्द्र कुमार वर्मा के कानूनी वारिस, पार्टनर एवं जमानतदार), सुश्री गिन्नी वर्मा पुत्री स्व. राजेन्द्र कुमार वर्मा (स्व. राजेन्द्र कुमार वर्मा के कानूनी वारिस, पार्टनर एवं जमानतदार) एवं जमानतदार श्री अक्षय वर्मा पुत्र स्व. दिनेश कुमार वर्मा एवं श्री संतोष वर्मन पुत्र स्व. विजय कुमार वर्मन पर मांग सूचना दिनांक 29.10.2021** पर उस सूचना की प्राप्ति की तिथि **से 60 दिनों के भीतर दिनांक 29.10.2021 को बकाया राशि रू. 91,81,129.91 (रूपये इक्यानवे लाख इक्यासी हजार एक सौ उनतीस एवं पैसे इक्यानवे मात्र) (दिनांक 30.09.2021 तक ब्याज शामिल करते हुए) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों** का पुनर्भुगतान करने के लिए मांग सूचना जारी की गई।

ऋणी द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल होने पर एतद्वारा सूचना ऋणी और आम जनता को दी जाती है कि निम्नहस्ताक्षरकर्ता ने **दिनांक 19, माह जनवरी, वर्ष 2022** को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत, उक्त अधिनियम की उपधारा 8 के साथ पठित उस पर प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति को कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशेष एवं आम जनता को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किया गया कोई भी संव्यवहार **दिनांक 10.01.2022 को बकाया राशि रू. 88,67,390.57 (रूपये अठासी लाख सड़सठ हजार तीन सौ नब्बे एवं पैसे सतावन मात्र) एवं इससे आगे का ब्याज व अन्य खर्चे व लागतों का पुनर्भुगतान करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा कार्यालय जे. एल. एन. हॉस्पीटल रोड़, अजमेर, राजस्थान** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का वर्णन

सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग गठित होते हैं जो कि स्व. राजेन्द्र कुमार वर्मा पुत्र स्व. भीम सिंह वर्मा के नाम साम्यिक बंधक दिनांक 10.11.2014 भूमि एवं भवन प्लॉट नं. 614 जो आना सागर, सर्कुलर रोड़, अजमेर पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 292.14 वर्ग गज है। **सीमाएं**- पूर्वः 30'0'' चौड़ी रोड़, पश्चिमः प्लॉट नं. 613, उत्तरः 20'0'' चौड़ी रोड़, दक्षिणः प्लॉट नं. 612

स्थानः अजमेर
दिनांकः 19.01.2022

हस्ता.
प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ बड़ौदा

कार्यालय नगरपालिका कुचामन सिटी (नागौर)

Email : eo.mcorp.kuchaman@rajasthan.gov.in
munibkcity@gmail.com

फोन नं. 01586-220022
01586-221526

क्रमांक :- न.पा.कु./2021-22/5171 **दिनांक :- 24.01.2022**

आपत्ति आमन्त्रण सूचना

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में कब्जा नियमन, स्टेटग्रान्ट एक्ट, खांचा भूमि, कृषि नियमन, नामान्तरण, भवन निर्माण ईजाजत, रूपान्तरण 69क के तहत निम्नांकित आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। इस संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की दिंनाक से 07 दिवस में इस कार्यालय को लिखित में आपत्तियां/कारण/विवरण सहित कार्यालय समय में दर्ज करावें, अन्यथा बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नहीं होगी एवं आवेदक के पक्ष में भूमि आवंटन पट्टा/जारी कर दिया जावेगा।

क्र. सं.	पत्रावली सं.	आवेदक का नाम/पिता का नाम व पता	प्रयोजन	पट्टा/खसरा संख्या	क्षैत्रफल	पड़ौस
1.	2123/2021-22	श्री मकसूद पुत्रान हनीफ, दीपपुरा रोड	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 1684	193.61 वर्गगज	पूर्वः- मलकु दीन का मकान पश्चिम :-अन्य प्लाट उत्तर :-गली दक्षिण :-आम रास्ता
2.	2124/2021-22	श्रीमती मीनु माहेश्वरी पत्नी राकेश कुमार, न्यू विनायक नगर	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 881/473	213.88 वर्गगज	पूर्वः- प्लाट नं. 04 पश्चिम :-प्लाट नं. 02 उत्तर :-आम रास्ता दक्षिण :-कुमावत का भूखण्ड
3.	2125/2021-22	श्री रूकमणी देवी पत्नी कैलाशचन्द शर्मा, वैशाली नगर	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 1028	186.66 वर्गगज	पूर्वः-आम रास्ता पश्चिम :-अन्य प्लाट उत्तर :-दशरथ सिह का प्लाट दक्षिण :-हरी प्रसाद का प्लाट
4.	2126/2021-22	श्री राजूराम पुत्रान सुजाराम, कल्याण मण्डप के पास	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 1858, 1863, 1866	211.02 वर्गगज	पूर्वः- भागीरथ का प्लाट पश्चिम :-किशोर कुमावत का प्लाट उत्तर :-आम रास्ता दक्षिण :-राजूराम का मकान
5.	2127/2021-22	श्री राजूराम पुत्रान सुजाराम, कल्याण मण्डप के पास	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 1858, 1863, 1866	391.66 वर्गगज	पूर्वः- रामपाल कुमावत का प्लाट पश्चिम :-आम गली उत्तर :-किशोर व भागीरथ का प्लाट दक्षिण :- आम रास्ता
6.	2128/2021-22	श्रीमती सुगनी पुरोहित पत्नी महावीर प्रसाद, सुरेन्द्र नगर	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 2657/823	533.33 वर्गगज	पूर्वः- राजू जी का मकान व अन्य प्लाट पश्चिम :-आम रास्ता उत्तर :-आम रास्ता दक्षिण :-आम रास्ता
7.	2129/2021-22	श्री गोपालराम पुत्रान जमनालाल, बडला की ढाणी	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं.711	256.03 वर्गगज	पूर्वः- चांद मल का भूखण्ड पश्चिम :-नेमाराम कुमावत का प्लाट व रास्ता उत्तर :- सोलाराम कुमावत का मकान दक्षिण :-कालूराम कुमावत का मकान
8.	2131/2021-22	श्रीमती आंचू देवी पत्नी भंवरलाल, बीआर खोखर स्कूल के पास	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 2022	333.33 वर्गगज	पूर्वः- प्रेमाराम का भूखण्ड पश्चिम :-आम रास्ता उत्तर :-आम रास्ता दक्षिण :-दुलीचन्द कुमावत का मकान
9.	2132/2021-22	श्रीमती सुमन देवी पत्नी रामकिशन, दल्ला बालाजी रोड	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं.274	255.11 वर्गगज	पूर्वः- आम रास्ता पश्चिम :-प्लाट नं. 35,34 उत्तर :- खसरा नं. 274दक्षिण :-प्लाट नं. 37
10.	2133/2021-22	श्री बनवारी लाल पोषक पुत्रान नन्दाराम पोषक, पारीक कॉलोनी	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं.693	111.11 वर्गगज	पूर्वः- आम रास्ता पश्चिम :-डालू देवी का भूखण्ड उत्तर :-राधा देवी का मकान दक्षिण :-आम रास्ता
11.	2134/2021-22	श्री जगदीश सिंह राठौड पूत्रान गंगासिंह, बुडसू रोड	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 79	124.44 वर्गगज	पूर्वः- प्रेम कंवर का प्लाट पश्चिम :-शंकर व अन्य का भूखण्ड उत्तर :- एप्लीकेशन प्लाटदक्षिण :-बूडसू रोड
12.	2136/2021-22	श्री मनोज कुमार पारीक पुत्रान चांदमल पारीक, निशंक विहार	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 322	186.66 वर्गगज	पूर्वः- आम रास्ता पश्चिम :-प्लाट नं. 48 उत्तर :-प्लाट नं. 41 दक्षिण :-प्लाट नं. 43
13.	2137/2021-22	श्री मोहम्मद रफीक पुत्रान इस्लामुदीन, दीपपुरा रोड	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 1594	186 वर्गगज	पूर्वः- इस्लामुदनी का मकान पश्चिम :-सेर मोहम्मद का मकान उत्तर :-आम रास्ता दक्षिण :-आम रास्ता
14.	2138/2021-22	श्री दिलशाद खान पत्नी नजर मोहम्मद खान, न्यू ग्रिन मेंघा आसियाना	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 458	138.89 वर्गगज	पूर्वः- प्लाट नं. 201 पश्चिम :-आम रास्ता उत्तर :-प्लाट नं. 189 दक्षिण :-प्लाट नं. 191
15.	2139/2021-22	श्री इस्लामुदीन पुत्रान अजीम बक्ष, दीपपुरा रोड	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 1594	186 वर्गगज	पूर्वः- आम रास्ता पश्चिम :-मोहम्मद रफीक का मकान उत्तर :-आम रास्ता दक्षिण :-आम रास्ता
16.	2140/2021-22	श्रीमती नसिरा बानो पत्नी इमरान खान, ग्रिन मेंघा आसियाना	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं.458	138.89 वर्गगज	पूर्वः- प्लाट नं. 202 पश्चिम :-आम रास्ता उत्तर :-प्लाट नं. 188 दक्षिण :-प्लाट नं. 190
17.	2141/2021-22	श्री भवानी सिंह राठौड पुत्रान रामकुमार सिंह राठौड, शिव शक्ति	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 307	333.33 वर्गगज	पूर्वः-राजेन्द्र सिंह का प्लाट पश्चिम :-आम रास्ता उत्तर :-आम रास्ता दक्षिण :-भवानी सिंह का प्लाट
18.	2142/2021-22	श्री भवानी सिंह राठौड पुत्रान रामकुमार सिंह, शिव शक्ति	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं.307	533.33 वर्गगज	पूर्वः- राजेन्द्र सिंह का प्लाट पश्चिम :-आम रास्ता उत्तर :-भवानी सिंह का प्लाट दक्षिण :-भवानी सिंह का प्लाट
19.	2143/2021-22	श्री भवानी सिंह राठौड पुत्रान रामकुमार सिंह राठौड, शिव शक्ति	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 307	533.33 वर्गगज	पूर्वः- धीरू सिंह का प्लाट पश्चिम :-आम रास्ता उत्तर :-भवानी सिंह का प्लाट दक्षिण :-आम रास्ता
20.	2144/2021-22	श्री ध्रुव सिंह पुत्रान फूल सिंह, शिव शक्ति	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं.307	533.33 वर्गगज	पूर्वः- आम रास्ता पश्चिम :-भवानी सिंह का प्लाट उत्तर :-राजेन्द्र सिंह का प्लाट दक्षिण :-आम रास्ता
21.	2145/2021-22	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्रान मिठु सिंह, शिव शक्ति 1	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 307	533.33. वर्गगज	पूर्वः- आम रास्ता पश्चिम :-भवानी सिंह राठौड का प्लाट उत्तर :-राजेन्द्र सिंह का प्लाट दक्षिण :-प्लाट नं. 36
22.	2146/2021-22	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्रान मिठु सिंह, शिव शक्ति 1	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं.307	333.33 वर्गगज	पूर्वः- आम रास्ता पश्चिम :-भवानी सिंह का प्लाट उत्तर :-आम रास्ता दक्षिण :-राजेन्द्र सिंह का प्लाट
23.	2147/2021-22	श्री रूपाराम कुमावत पुत्रान केशर राम, नवोडी कौठी	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 1716	262.13 वर्गगज	पूर्वः- आम रास्ता पश्चिम :-सांवरमल का मकान उत्तर :-सांवर मल व मूल चंद का मकान दक्षिण :-आम रास्ता
24.	2148/2021-22	श्री गुलाबचन्द कुमावत पुत्रान केशरराम, नवोडी कोठी	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 1716	266.15 वर्गगज	पूर्वः- आम रास्ता पश्चिम :-रूपाराम का मकान उत्तर :-मूल चंद का मकान दक्षिण :-आम रास्ता
25.	2149/2021-22	श्री नवरतन, जितुराम, तुलछीराम, सुन्दरलाल, नरसीराम पुत्रान नाथुराम, कमला देवी पत्नी नाथुराम, हीरा कॉलोनी	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 1721	166.66 वर्गगज	पूर्वः- आम रास्ता पश्चिम :-आम रास्ता उत्तर :-गोपाल लाल का मकान दक्षिण :-आम रास्ता
26.	2150/2021-22	श्री गोपाल लाल पुत्रान रामलाल, हीरा कॉलोनी	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 1721	116.66 वर्गगज	पूर्वः- पतासी देवी का प्लाट पश्चिम :-कमला देवी का प्लाट उत्तर :-आम रास्ता दक्षिण :-आम रास्ता
27.	2151/2021-22	श्री ओम प्रकाश पुत्रान रमेश, हीरा कॉलोनी	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 1721	213.00 वर्गगज	पूर्वः- हिराराम का भूखण्ड पश्चिम :-आम रास्ता उत्तर :-राम गोपाल का प्लाट दक्षिण :-हीरा राम भाटी का प्लाट
28.	2152/2021-22	श्री गुलशेर खान पुत्रान नूर मोहम्मद खान, खान मौहल्ला	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 972	275.5 वर्गगज	पूर्वः- रेहाना का प्लाट पश्चिम :-इमदाद खान का प्लाट उत्तर :-आम रास्ता दक्षिण :-आम रास्ता
29.	2153/2021-22	श्री गुलशेर खान पुत्रान नूर मोहम्मद खान, खान मौहल्ला	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 972	448.11 वर्गगज	पूर्वः- मकसूम बानो की शॉप व प्लाट पश्चिम :- अन्य भूखण्ड व चुन्नीलाल का मकान उत्तर :-सीकर बाईपास रोड दक्षिण :-आम रास्ता
30.	2154/2021-22	श्रीमती मकसूम पत्नी दराब खान, खान मौहल्ला	कृषि भूमि नियमन	खसरा नं. 972	183.33 वर्गगज	पूर्वः-आम रास्ता पश्चिम :-एप्लीकेशन प्लाट उत्तर :-इमदाद खान का प्लाट दक्षिण :-आम रास्ता

अधिशाषी अधिकारी,
नगर पालिका कुचामन सिटी